

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 20, गुरुवार, शाके 1947- सितम्बर 11, 2025 <i>Bhadra 20, Thursday, Saka 1947- September 11, 2025</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 11, 2025

जी.एस.आर.66 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य के राज्यपाल, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 से सलग्न अनुसूची में, शीर्ष "राजस्थान विधान सभा सचिवालय सेवा" के अधीन क्रम संख्यांक 20क के सामने स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"सेवा का 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 2 वर्ष का अनुभव उपमार्शल के पद पर होना चाहिए:
परंतु उपमार्शल के पद पर 2 वर्ष के अनुभव का एकबारीय शिथिलीकरण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान किया जायेगा।"

[सं.एफ.8(1)संसद/2009 पार्ट1]

राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेन्द्र जैन,

प्रमुख शासन सचिव।

Parliamentary Affairs Department
NOTIFICATION
Jaipur, September 11, 2025

G.S.R.66 .-In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor of the State of Rajasthan, after consultation with the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly, hereby please to make the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) (Second Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule.-In Schedule appended to the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, under the heading Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Service, the existing entries of column 4, against serial number 20A shall be substituted by the following, namely:-

"10 years experience of the service out of which 2 years must be on the post of Deputy Marshal:

Provided that one-time relaxation of 2 years experience of the post of Deputy Marshal shall be granted for the financial year 2024-25."

[No. F.8(1)Sansad/2009 Part-1]
By order of the Governor,

Brajendra Jain,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.